न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 01/2020/दावा

भूमिधारी (तहसीलदार) तहसील दांतारामगढ

— वादी

ब ना म

जितेन्द्र कुमार रणवा पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 40 जाट कालोनी नवलगढ रोड़ सीकर।

— प्रतिवादी

उपस्थितिः

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रतिवादी की ओर से

दावा अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत शर्त भंग के कारण सिवायचक घोषित करने व बेदखली करने हेतु।

निर्णय दिनांकः 26.07.2021

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तह0 दांताराामगढ में कृषि भूमि कार्य हेतु प्रतिवादी की खातेदारी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 3.20 है0 किस्म चांही के रूप में अंकित है। खातेदार घीसा पुत्र मेघा हिस्सा 1/2, जितेन्द्र कुमार रणंवा पुत्र बालूराम हिस्सा 17/320 व जिनकुदेवी पत्नि पन्नाराम हिस्सा 143/320। पटवारी हल्का लोसल से प्राप्त प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन मे काम में लिया जार रहा है अर्थात कृषि भूमि पर कृषि कार्य न कर शर्त भंग की गयी है एवं भूमि क्षेत्र से बेदखल करने व सिवायक घोषित करने की आज्ञा पारित की जावें।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकील श्री आनन्द राड़ उपस्थित हुए। उक्त वाद के संबंध में प्रतिवादी ने जबाब पेश किया कि प्रतिवादी ने अपने हक हिस्से की भूमि पर कानूनी अनभिज्ञता की वजह से निर्माण कार्य कर लिया है, आसपास की शेष कृषि भूमि को कोई हानि नहीं पहुचाई है। प्रतिवादी का अपने हक हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करने में किसी दुसरें पक्ष या वादी को नुकसान पहुचाने का कोई इरादा नहीं था। वादी का उक्त कार्य एक कानूनी अनभिज्ञता का मामला है वादी न्यायायल के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही व शुल्क जमा कराने को तत्पर है। अतः जबाब दावा पेशकर श्रीमान जी से निवेदन है कि वाद पत्र खारिज फरमाया जावें। तहसीलदार दांतरामगढ को बार–बार साक्ष्य पेश करने के अवसर दिये जाने के बावजूद भी वाद के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द किये गयें। वाद पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, जबाब प्रतिवादी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी तहसीलदार दांतारामगढ के द्वारा वाद कें समर्थन मे किसी भी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। अतः वादी का दावा सारहीन होने के कारण वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुंनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर, फास्टट्रेक, दांतारामगढ